कोरोना वायरस और सरकारी योजनाएं

- के दौरान क़ानून का शासन लागू रहेगा.
- लोगों को उनके मौलिक व मानव अधिकारों से वंचित या उनका हनन नही किया जा सकता.
- इन्न अधिकारो को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी व जवाबदेही राज्य की है.

वेबसाइट: http://aalilegal.org/ फ़ेसबुक:https://www.facebook.com/aalilegal/

फोन नंबर: लखनऊ: 8005499927, आज़मगढ़: 8005491463, झारखंड: 9693853019

मानवाधिकार के इस काम में हमारी मदद के लिए डोनेट करें- हमें ईमेल करें - rmo@aalilegal.org

विषयसूची

क्रमांक	योजनाओं का नाम	जारी करने की तारीख	क्रम संख्या
1	प्रवासी मजदूर योजना	एप्रिल 12, 2020	D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)
2	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना	मार्च 30,2020	D.O.No.Z 21020/16/2020
3	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	मार्च 31,2020	DIARY NO. 10789 of 2020
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मार्च 28, 2020	No. 1074
5	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	मार्च 31,2020	DIARY NO. 10789 of 2020
6	प्रधानमंत्री जन धन योजना	एप्रिल 1, 2020	F.NO.12/01/2020 BO 11
7	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	मार्च 31,2020	DIARY NO. 10789 of 2020
8	पीएम-किसान योजना	डिसेंबर 1,2018	
9	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष	मार्च 28,2020	
10	दाल भात केंद्र योजना	मार्च 29,2020	14-03/2020
11	मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना	एप्रिल 14, 2020	01/2020/ग्रा0वि0/ 1316
12	मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना	एप्रिल 7, 2020	JBOCWW Board-09/2020

विषयसूची

क्रमांक	योजनाओं का नाम	जारी करने की तारीख	क्रम संख्या
13	दाल भात केंद्र योजना, झारखंड		
14	गरीब कल्याण रोज़गार अभियान		
15	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड		
16	मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना, झारखंड		
17	बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड		
18	वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, झारखंड		
19	नीलाम्बर- पीताम्बर जल समृद्धि योजना, झारखंड		
20	मुख्मंत्री विशेष सहायता योजना, झारखंड		

आवश्यक वस्तु / स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ

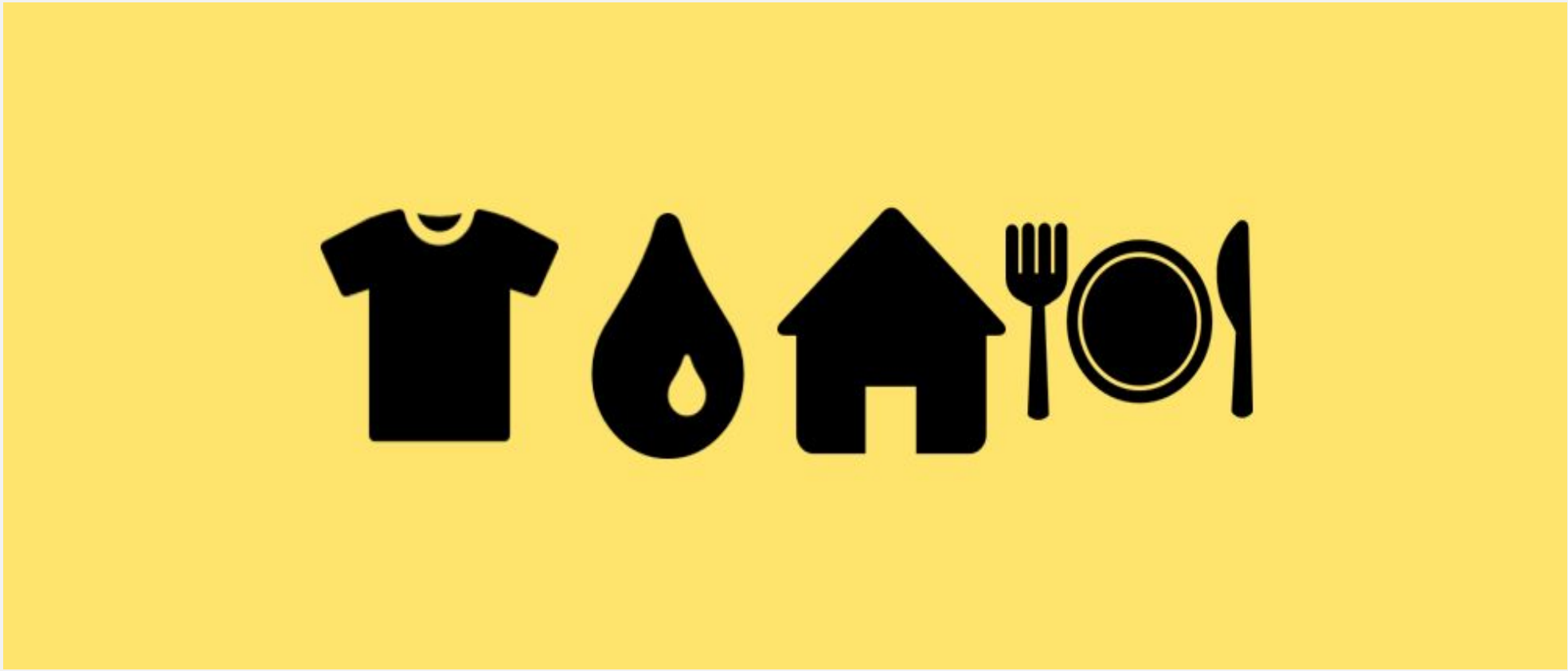

प्रवासी श्रमिकों के भोजन और आश्रय सम्बंध में योजना
"प्रवासी मजदूर योजना"

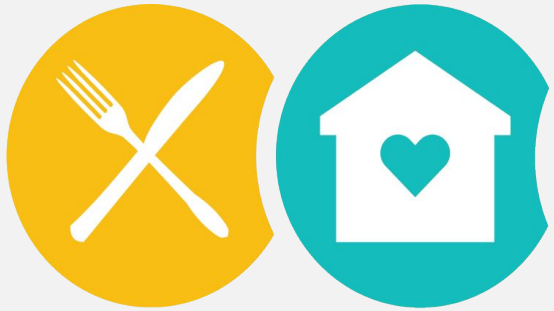

- जो प्रवासी श्रमिक कोविड -19 के कारण फंस गए हैं और अपने घर तक पहुंचने में असमर्थ हैं उनको भोजन और आश्रय प्रदान किया जाएगा
- किराए की संपत्ति में रहने वाले प्रवासी श्रमिक एक महीने का किराया दिए बिना उसी संपत्ति में रह सकते हैं।
- फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों और तीर्थयात्रियों के लिए राहत शिविर लगाया जाएगा ।
- उद्योग में काम करने वाले सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलेगी।

- लाभ प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, वरिष्ठ एसपी और एसपी, पुलिस उपायुक्त के लिए या तो व्यक्ति में या उनके मोबाइल नंबरों के माध्यम से तक पहुंच प्राप्त करें। सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

- यदि वे कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आप 1076 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का उल्लेख कर सकते हैं या सीएम ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

- दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं।
  इंटेग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम 1070
  कोविद-19 हेल्पलिन 18001805145
  केंद्रीयकृत पोलीस आपातकालीन सेवा 112
  खाद्या एवं रसद विभाग 18001800150

- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं ।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

कोविड -19 के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के सम्बंध योजना

"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना"

- इस योजना के तहत लगभग स्वास्थ्यकर्मियों को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपये का मेडिकल कवर प्रदान किया जाएगा। यह बीमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है और इससे प्रभावित होने का जोखिम हो सकता है।

- बीमा सुविधा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें "न्यू एश्योरेंस इंडिया लिमिटेड" कंपनी **1800 209 1415**
- विस्तार से वर्णन के लिए उनकी **वेबसाइट** (https://www.newindia.co.in/portal/)पर भी जा सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

लॉक डाउन के समय राशन के लिए योजना

"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना"

- कोविद -19 के कारण तालाबंदी के दौरान खाड़ी सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीनों के लिए मुफ्त भोजन देने का फैसला किया है
- तीन महीनों के लिए प्रति घर एक किलो दाल दी जाएगी। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का मुफ्त वितरण होगा
- यह 5 किलो अनाज के उनके मौजूदा खाद्य-सुरक्षा अधिकारों से अलग होगा

- राशन वितरण की जिम्मेदारी कोटेदार को दी गई है
- सभी को खाद्य आपूर्ति और अन्य आवश्यक ज़रूरते ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मदद या शिकायत के लिए अपने क्षेत्र में लेखपाल (उत्तर प्रदेश)और ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस नंबर **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना"

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब लाभार्थी अप्रैल से जून तक तीन महीने का मुफ्त एलपीजी का दावा कर सकते हैं।
- 2 रीफिल के बीच 15 दिनों का अंतर होना चाहिए।
- उज्जवला योजना के तहत पंजीकृत लोग अपने खातों में सभी 3 महीनों के लिए अग्रिम धन प्राप्त करेंगे।
- ये कदम खर्च के दबाव को भी कम करेंगे।

- अधिका जानकारी के लिए अपने उजवाला संबंधित खाते वेल बँक से संपर्क करें ।
- अपने गैस सिलेंडर प्रदाता से भी संपर्क कर सकते हैं
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष

- इस कोष को क्वारंटीन सुविधाओं, नमूना संग्रह और स्क्रीनिंग की स्थापना के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है; अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, उपभोग्य सामग्रियों की लागत; स्वास्थ्य सुरक्षा, नगरपालिका, पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद; सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
- केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों सहित बेघर लोगों को भोजन और आश्रय देंगे जो लॉकडाउन के उपायों के कारण फंसे हुए हैं।
- तदनुसार, 28.03.2020 को केंद्र सरकार ने राज्यों सरकार को इस उद्देश्य के लिए भी एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति दी।

- यदि आप हेलथ सेक्टर में काम कर रहे हैं और COVID 19 के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, तो आप **1076** पर शिकायत कर सकते हैं

- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

“मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, झारखंड”

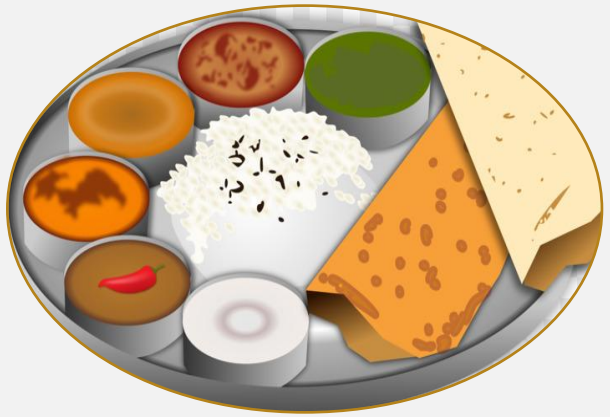

- झारखंड सरकार ने दीदी रसोई योजना शुरू की है।
- इस योजना के तहत निर्माण श्रमिको को एक समय की भोजन सुविधा प्रदान की जाएगी।
- यह योजना सभी सरकारी पंचायत में अर्ध सरकारी संगठन JSLPS की मदद से चलाई जा रही है।

- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं।

इंटेग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम 1070,
कोविद-19 हेल्पलिन 18001805145,
केंद्रीयकृत पोलीस आपातकालीन सेवा 112,
खाद्या एवं रसद विभाग 18001800150

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

“दाल भात केंद्र योजना, झारखंड”

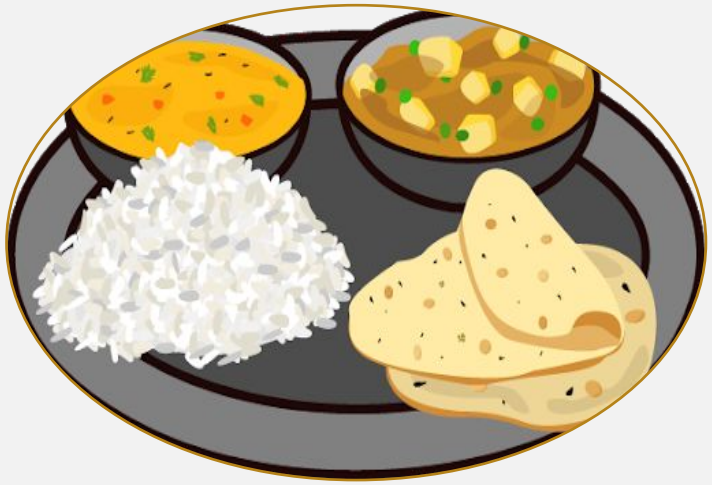

- तालाबंदी की स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने दाल भात केंद्र खोलने का फैसला किया है।
- ये केंद्र 2 महीने के लिए कार्यात्मक होंगे और प्रति दिन 200 लोगों को खिलाएंगे।
- ये केंद्र झारखंड के सभी 24 जिलों में खोले जाएंगे।
- प्रदान किया गया भोजन दिन के समय में एक बार होगा और प्रति व्यक्ति 5 रुपये में उपलब्ध होगा।

- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं।

इंटेग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम 1070,
कोविद-19 हेल्पलिन 18001805145,
केंद्रीयकृत पोलीस आपातकालीन सेवा 112,
खाद्या एवं रसद विभाग 18001800150

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए योजनाएं

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना"

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत 1 अप्रिल 2020 से मजदूरी में वृद्धि की है, जो हर साल प्रत्येक कार्यकर्ता को 2,000 रुपये की अतिरिक्त आय प्रदान करेगी।
- मनरेगा मजदूरी 182 से बढ़कर 202 हो जाएगी ।

- इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता पंचायत सचिव, बीडीओ या एडीओ से संपर्क कर सकते हैं।
- जिला स्तर पर वे डीपीआरओ से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

“प्रधानमंत्री जन धन योजना”

- पीएम.जे.डी.वाई के तहत पंजीकृत महिलाओं के खातों में अप्रैल से 500 रुपये आएंगे अप्रिल मे।
- सभी सदस्यों को उसी के संबंध में संदेश प्राप्त होगा रिजिस्टर्ड मोबाइल पे ।
- बैंकों से अनुरोध किया गया है वे सुचारू संचालन में मदद करें।

- इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पीएम.जे.डी.वाई हेल्पलिन नंबर **1800-180-1111**
- अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं जहाँ जन धन खाता खुला है ।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

"राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम"

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को एक मासिक पेंशन दी जा रही है।
- यह पैसे रिजिस्टर्ड अकाउंट मे आएँगे ।
- इसमें 1000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे।
- इसके बारे में अधिक जानने के लिए या स्वयं को पंजीकृत करने के लिए कृपया लिंक का अनुसरणकरेंhttp://sspyup.gov.in/IndexOAP.aspx

- अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं जहाँ पेंशन खाता खुला है।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

कोविड -19 के दौरान किसानों के संबंध में योजना

"पीएम-किसान योजना"

- तालाबंदी के कारण प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए, केंद्र अप्रैल के पहले सप्ताह में पीएम-किसान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 2,000 रुपये की पहली किश्त हस्तांतरित करेगा।
- प्रधानमंत्री किसान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत, केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि, तीन समान किस्तों में, सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है।
- इसके बारे में अधिक जानने के लिए या स्वयं को पंजीकृत करने के लिए कृपया लिंक का अनुसरण करें https://pmkisan.gov.in/

- किसान मुआवजे के लिए अपने ज़िले के लेखपाल (उत्तर प्रदेश), तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- ये सभी योजनाएं और आदेश गृह मंत्रालय की **वेबसाइट** (https://www.mha.gov.in/media/whats-new) पर उपलब्ध हैं और क्लिक करके उन तक पहुँचा जा सकता है।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

“गरीब कल्याण रोज़गार अभियान”

- यह गरीब कल्याण रोज़गार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में मिशन मोड में चलाया जाएगा, जो 125 दिनों तक चलेगा ।
- इन 116 जिलों में बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, ओडिशा में 4 और झारखंड में 3 जिले शामिल हैं।
- इस योजना के तहत 25 कार्य प्रमुख रूप से चुने गए है।

- जिलावार समर्पित केंद्रीय नोडल अधिकारी जमीनी स्तर के कार्यान्वयन की निगरानी और सुविधा के लिए जिम्मेदार होगा।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो यहाँ संपर्क करें

Joint secretary (RE) to Govt. of India Department of Rural Development,
Krishi Bhawan,NewDelhi.
Email: gkra-mord@nic.in,
Website: https://gkra.nic.in

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

"मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड"

- इस योजना के तहत, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा
- राज्य सरकार ने पहाड़ी राज्य से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुद्रा योजना शुरू की
- प्रवासी श्रमिक अपने कौशल सेटों के बारे में एक वेबसाइट (Hope.uk.gov.in) पर बुनियादी विवरण अपलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन्हें राज्य में उपयुक्त रोजगार मिलने की संभावना है। https://hope.uk.gov.in/

- इस योजना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों से संपर्क कर सकते है
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो यहाँ संपर्क करें **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- अधिक जानकारी के लिए दिए गये लिंक पर क्लिक करे **https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php**

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

"मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना, झारखंड"

- झारखंड सरकार ने गरीब लोगों को 1000 रुपये का लाभ देने का फैसला किया है, जो ताला बंद होने के कारण मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- सरकार ने उन प्रवासी श्रमिकों को 2000 रुपये स्थानांतरित करने का भी फैसला किया है जो लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं।
- ये राशि DBT की मदद से व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।
- दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं।

इंटेग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम 1070,
कोविद-19 हेल्पलिन 18001805145,
केंद्रीयकृत पोलीस आपातकालीन सेवा 112,
खाद्या एवं रसद विभाग 18001800150

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

"बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड"

- बिरसा हरित ग्राम योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है
- इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को सौ-सौ फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधों का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें
- पौधरोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है।
- इस योजना के तहत राज्य भर में लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

- इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता पंचायत सचिव, बीडीओ या एडीओ से संपर्क कर सकते हैं।
- जिला स्तर पर वे डीपीआरओ से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

“वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, झारखंड”

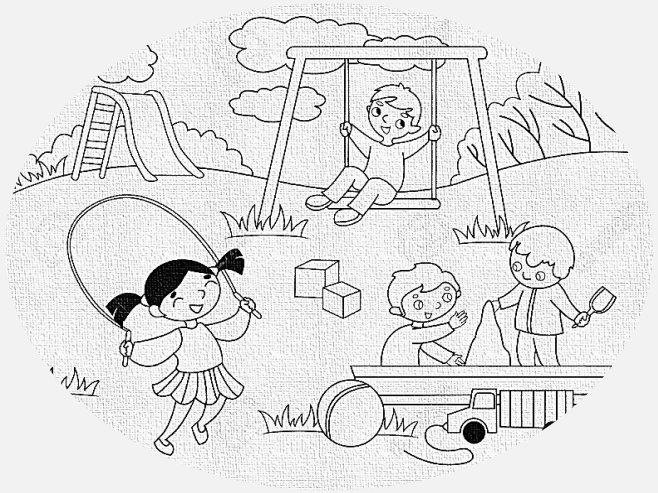

- इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना है. इसके माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में पांच हजार खेल के मैदान का निर्माण होना है.
- साथ ही खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था हागी. प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जायेगा. इससे मनरेगा के तहत एक करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा.

- इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता पंचायत सचिव, बीडीओ या एडीओ से संपर्क कर सकते हैं।
- जिला स्तर पर वे डीपीआरओ से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

“नीलाम्बर- पीताम्बर जल समृद्धि योजना, झारखंड”

- झारखंड में जल संचय बहुत जरूरी है, ताकि बहुफसलीय खेती की जा सके. पौधारोपण पूर्व से ही होता रहा है लेकिन अब पौधरोपण कर आर्थिक लाभ लोगों को पहुंचाना है.
- इसी के तहत इस योजना से जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होगा. राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में पांच लाख करोड़ लीटर की वृद्धि इस योजना के माध्यम से होगी.
- बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए पांच लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन होगा. इससे मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जायेगा.

- इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता पंचायत सचिव, बीडीओ या एडीओ से संपर्क कर सकते हैं।
- जिला स्तर पर वे डीपीआरओ से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

"मुख्मंत्री विशेष सहायता योजना, झारखंड"

- मुख्मंत्री विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड के बाहर फंसे लोगों को 1000 Rs सहायता दी जाएगी।
- यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो झारखंड राज्य के निवासी हैं और कोरोनावायरस के कारण झारखंड राज्य से बाहर हैं।
- इसके लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं लाभार्थी आधार कार्ड कॉपी, लाभार्थी के नाम पर बैंक खाता जो झारखंड राज्य में स्थित एक बैंक की शाखा में है।
- इसके लिए पंजीकरण 30-4-2020 तक अंकित करे

- इसे पाने के लिए https://covid19help.jharkhand.gov.in से मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने बारे में जानकारी लिखें http://covid19help.jharkhand.gov.in/
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

हिंसा के निवारण के लिए राज्य की पहल

"राष्ट्रीय महिला आयोग"

- महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने को देखते हुए महिलाओ की मदद करने के लिए नया नंबर निकाला गया है
- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए इस नंबर पर 7217735372 पर whatsapp करे
- सरकार ने कोरोना पर व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है। इसे MyGov कोरोना हेल्पडेस्क कहा जाता है।
- इसके अलावा बस 9013151515 पर व्हाट्सएप करें और आपको कोरोना से संबंधित प्रश्नों पर स्वचालित प्रतिक्रिया मिलेगी।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

महिला हेल्पलाइन नंबर, उत्तर प्रदेश

- एक राज्य, एक नंबर 1090 कोई भी पीड़िता या उसके रिश्तेदार इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, मुफ्त।
- शिकायत करने वाली महिलाओं की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी
- किसी भी परिस्थिति में पीड़ित को किसी पुलिस स्टेशन या किसी अन्य पुलिस कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा।
- यदि आप इस मुद्दे पर किसी भी समस्या का सामना कर हैं तो **1076** पर शिकायत कर सकते हैं ।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

महिला हेल्पलाइन नंबर, झारखंड

- महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए महिला हेल्पलाइन नम्बर 977।432।03 जारी किया गया।
- महिलाएं छेड़खानी या अन्य आपराधिक घटनाओं की सूचना इस नम्बर पर दे सकती हैं।
- महिलाएं और छात्राएं नंबर 94।।।।2780 पर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- शिकायत मिलते ही पुलिस शिकायतकर्ता की मदद के लिए पहुंचेगी।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

महिला हेल्पलाइन नंबर, उत्तराखंड

- महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए महिलाओ के लिए व्हाट्सएप नंबर निकाला गया है ।
- इस नंबर 94।।।।2780 पर महिलाए व्हाट्सएप पर मेसेज भेजकर पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- महिलाए घटना से जुड़े फोटोग्राफ और वीडियो भेज सकती हैं, ताकि आरोपी की पहचान करने में मदद मिल सके।
- महिलाएं और छात्राएं व्हाट्सएप नंबर 94।।।।2780 पर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- मेसेज आने के बाद संबंधित क्षेत्र में पुलिस सहायता मिलेगी।

जारी करने की तारीख : एप्रिल 12, 2020

उद्धरण संख्या : D.O. Letter 40-3/2020-DM-I (A)

योजनाओ से जुड़ने का तरीका

- **पेन्षन योजना :** इस लिंक - http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx / https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ http://ssp.uk.gov.in/downloads.aspx पर जाकर आवेदन पत्र भरकर किसी भी प्रकार की पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** इस लिंक - https://pmjdy.gov.in/hi-scheme पर जाकर खाता खोलने के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। इस योजना में खुद को पंजीकृत करने के लिए उपरोक्त लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते है।

- **उज्जवाला योजना :** इस link - https://www.pmujjwalayojana.com/how-to-apply.html पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें।

- **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि :** इस लिंक - https://pmkisan.gov.in/RegistrationForm.aspx जाकर योजना में स्वयं को नामांकित करें और नए किसान पंजीकरण के लिए आवेदन करें। या मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 15526। / 18001155 26 (टोल फ्री), 0120-602 टोल फ्री 5109 पर कॉल करें

आपातकालीन संपर्क नंबर

मुख्यमंत्री हेल्पलिन	1076
इंटेग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम	1070
कोविद-19 हेल्पलिन	180018005145
केंद्रीयकृत पोलीस आपातकालीन सेवा	112
खाद्या एवं रसद विभाग	18001800150
आंब्युलेन्स सेवा	108
प्रसूति आंब्युलेन्स सेवा	102
विमन पवर लाइन्स (उत्तर प्रदेश)	1090
चाइल्ड हेल्पलिन	1098
मँडी परिषद	18001804555
अग्निशमन सेवा	101
एम.एस.एम.ई (उत्तर प्रदेश)	0522-2202893